न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 08 / 2024

रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः 11 वीं फलोर, नोर्थ साईड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र 400063 जरिये प्राधिकृत अधिकारी,तरुण मौर्य।

...प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश कुमार जांगिड पुत्र श्री किशन लाल जांगिड (ऋणी)

पता–51, खतवाड मौहल्ला, उदयपुरा, सिकराय, दौसा, राजस्थान–303509
2. माया देवी पत्नि श्री दिनेश कुमार जांगिड (सह ऋणी)
पता–51, खतवाड मौहल्ला, उदयपुरा, सिकराय, दौसा, राजस्थान–303509
3. गणेश राम जांगिड पुत्र श्री किशन लाल (गारन्टर)
पता–51, खतवाड मौहल्ला, उदयपुरा, सिकराय, दौसा, राजस्थान–303509
4. रविशंकर जांगिड पुत्र श्री कैलाश चन्द जांगिड (गारन्टर)
पता–51, खतवाड मौहल्ला, उदयपुरा, सिकराय, दौसा, राजस्थान–303509

......अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थित : श्री संजय त्रिवेदी, अधिवक्ता प्रार्थी।

Web Copy - Not Official

आदेश दिनांक:28.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 8,00,000/–(रूपये आठ लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री दिनेश कुमार जांगिड पुत्र श्री किशन लाल जांगिड की अचल संपत्ति प्लॉट पटटा नंबर– 04, ग्राम पंचायत उदयपुरा पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 120.11 वर्गगज है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28फरवरी, 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:49:33 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
कलेक्टर,दौसा